

17.10.22

सुरेन्द्र कुमार / लडा देवी
(2019/0088)

17.10.22
01-11-22

तारीख हुकम	हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
28.09.22	<p>अपील अग्रिम श्री हेमराज गुप्ता एवं शेफाली एं. 1 के अग्रिम श्री विरप्रकाश मोदरी उपस्थित हैं। अपील व शेफाली एं. 1 के अग्रिम लिखित बहस प्रस्तुत करना चाहते हैं इनकी लिखित बहस प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ दिनांक 28-09-2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	
28.09.22	<p>पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया गया। अतः पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ दिनांक 17.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	
17-10-22	<p>पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया गया। अतः पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ दिनांक 01.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	
01-11-22	<p>पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता ने जिन दस्तावेजों को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी है वे दस्तावेजात पंजीकृत दस्तावेज है और जिनके सन्दर्भ में कोई भी चाराजोही/विधिक उपचार न्यायालय हाजा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रार्थीगण/ निगरानीकर्ता सिविल न्यायालय में ही चाराजोही/ विधिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि पंजीकृत दस्तावेज का निरस्तीकरण एवं इन्हें चुनौती देने का अधिकार व सुनवाई की अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को ही है। अतएव ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता की यह निगरानी इसी आधार पर न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर 2 के क्रम हो तथा कांड तक्रमील 24-1 फलवादी।</p> <p style="text-align: right;">संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	